पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 152/2020

अनवान :

1. विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।

:— **वादी**

1. मोहनलाल पुत्र पूर्णराम जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।
2. प्रमिला पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।
3. सरोज पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।
4. तारामणी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 293/282 के खसरा स0 614/3 की 4.072है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 01 मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **में** वादी तथा प्रतिवादी सं 01 मोहनलाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं 02 ता 04 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रंहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विनोदकुमार व प्रतिवादी सं01 मोहनलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 152/2020

1. विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।

:— वादी

1. मोहनलाल पुत्र पूर्णराम जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।
2. प्रमिला पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।
3. सरोज पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।
4. तारामणी पुत्री मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घेउ त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील मुंशीराम गोस्वामी: वादीगण

वकील श्री सुरजीत बिजारणिया : प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांक : 29-01-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 293/282 के खसरा स0 614/3 की 4.072है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 01 मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादीगण के दादा पूर्णराम की खातेदारी हुआ करती थी। पूर्णराम से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाज़ा यही बिनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीएवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया । राजीनामा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए व अपने पहचान पत्रों को प्रस्तुत किया। उभयपक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:02 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 विनोदकुमार पुत्र मोहनलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 1 जमाबंदी भूप्रबन्धक विभाग प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

...नामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये ...ने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम घेउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही घेउ प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये उनमें वाद भूमि वादी के दादा पूर्णराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में मोहनलाल के वारिसान में 1 पुत्र विनोदकुमार तथा तीन पुत्रीयां प्रमिला, सरोज, तारामणी इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित कियें जावें। चुकिं प्रतिवादी सं 02 ता 04 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 01 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार योग्य होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा घेउ के खाता सं0 293/282 के खसरा स0 614/3 की 4.072है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 01 मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **में** वादी तथा प्रतिवादी सं 01 मोहनलाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं 02 ता 04 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विनोदकुमार व प्रतिवादी सं01 मोहनलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29-01-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादराR.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner